



विकसित
भारत
आमिष्यान
1947-2047

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं. जीसीसीओ/आरटीआई/ पीएन/6/2021/विधि/ 268 दिनांक : 23.04.2025
28/04/25

सार्वजनिक सूचना सं. PUBLIC NOTICE No. : 01/ RTI/2025

दिनांक Dated : 23.04.2025

फाइल संख्या जीसीसीओ/आरटीआई/ पीएन/6/2021/विधि दिनांक 27.06.2023 द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 01/आरटीआई/2023 दिनांक 27.06.2023 के अधिकरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारी को कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा फाइल संख्या 1/32/2007-आईआर दिनांक 14.11.2007 के अंतर्गत जारी कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में नोडल अधिकारी (आर.टी.आई); सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के संदर्भ में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सीआईसी/एटी/डी/10/000111 दिनांक 15.11.2010 सपठित अर्द्ध शासकीय पत्र सं. सीआईसी/एटी/डी/10/ 0000111/2 दिनांक 09.12.2010 में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में पारदर्शिता अधिकारी नामित किया जाता है।

In supersession of the Public Notice No. 01/RTI/2023 dated 27.06.2023 issued vide F.No. GCCO/RTI/PN/6/2021/Legal dated 27.06.2023, it is hereby informed that the officer mentioned in the column (3) of the table below is designated as Nodal Officer (RTI) in compliance of the directions imparted by the DoPT, New Delhi Office Memorandum vide F.No. 1/32/2007-IR dated 14.11.2007, First Appellate Authority in terms of Section 19(1) of the RTI Act, 2005 and Transparency Officer in compliance of the directions imparted by the Central Information Commission, New Delhi vide letter CIC/AT/D/10/000111, dated 15.11.2010, read with D.O.No. CIC/AT/D/10/0000111/2 dated 09.12.2010, in respect to the Office of the Chief Commissioner, CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur.

क्र. सं. S. No.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में पदनाम Designation in terms of the RTI Act, 2005	अधिकारी का नाम एवं पदनाम Name & Designation of the Officer
(1)	(2)	(3)
1.	नोडल अधिकारी (सूचना का अधिकार) मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर क्षेत्र), जयपुर के कार्यालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों की ओर से सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त करने हेतु। Nodal Officer (RTI) to receive request for information on behalf of all CPIOs in respect of administrative jurisdiction of Office of the Chief Commissioner, CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur.	सुश्री निष्ठा शर्मा संयुक्त आयुक्त कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर एन.सी.आर. बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्कल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 ई-मेल : pq-rti-ccoipr@gov.in दूरभाष:0141-2227576
2.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर के आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों के संबंध में। First Appellate Authority in respect of appeals filed against the orders of CPIO. Office of the Chief Commissioner. CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur.	Ms. Nishtha Sharma Joint Commissioner CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur, N.C.R. Building, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur-302005. e-mail: pq-rti-ccoipr@gov.in Tel.:0141-2227576

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्कल, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान - 302005
दूरभाष : 0141-2385155; फेक्स : 0141-2385130, ई-मेल : CCU-CExjpr@nic.in,
वेबसाइट website: www.cgstjaipur.gov.in, ट्विटर हैंडल Twitter Handle: @CGSTJAIPURZONE

3.	<p>पारदर्शिता अधिकारी मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर के कार्यालय के संबंध में।</p> <p>Transparency Officer in respect of Office of the Chief Commissioner, CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur</p>
----	---

Digitally signed by
Anuj Gogia

Date: 25-04-2025
(अनुज गोगिया)
15:40:28
(Anuj Gogia)

मुख्य आयुक्त
Chief Commissioner

प्रतिलिपि :-

Copy to: -

1. अतिरिक्त महानिदेशक (सिस्टम्स), सिस्टम महानिदेशालय, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, होटल सम्राट, नई दिल्ली।
The Additional Director General (Systems), Directorate General of Systems, Customs & Central Excise, Hotel Samrat, New Delhi.
2. आयुक्त, प्रचार एवं जनसंपर्क महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
The Commissioner, Directorate General of Publicity & Public Relations, Customs & Central Excise, I.P. Estate, New Delhi.
3. महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम) सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
The Director General, Directorate General of Performance Management (DGPM) Customs & Central Excise, I.P. Estate, New Delhi.
4. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अलवर/जयपुर/जोधपुर/ उदयपुर/ ऑडिट-जयपुर/ ऑडिट-जोधपुर/अपील-जयपुर/ अपील-जोधपुर को अनुरोध है कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर इस सार्वजनिक सूचना का व्यापक प्रचार करें और इसकी प्रतियां विभिन्न व्यापार संघों और क्षेत्रीय सलाहकार समिति (आरएसी) के सदस्यों को अग्रेषित करें।
The Principal Commissioner/Commissioner, CGST & Central Excise Commissionerates, Alwar/Jaipur/Jodhpur/Udaipur /Audit-Jaipur /Audit-Jodhpur/Appeals-Jaipur/Appeals-Jodhpur with request that they may give wide publicity to this Public Notice within their respective jurisdiction and to forward copies of the same to the various Trade Associations & Members of Regional Advisory Committee (RAC).
5. सुश्री निष्ठा शर्मा, संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (जे. जेड.), जयपुर को व्यक्तिगत प्रति।
Personal copy to Ms. Nishtha Sharma, Joint Commissioner, Office of the Chief Commissioner, GST & Central Excise (JZ), Jaipur.
6. अधीक्षक (कंप्यूटर), सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
The Superintendent (Computer), CGST & Central Excise Commissionerate, Jaipur for uploading on Zonal website.
7. सूचना पट्ट।
Notice Board.